न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/2017

1. कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. आरती पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. पार्वती पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. तानेश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. नारायणराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. सहीराम पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 13.10.2016

उपस्थितिः—

श्री सुभाष मिढा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

श्री मोहनलाल सहारण अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय दिनांक 14.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ओमप्रकाश, नारायणराम द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि.

14/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की धारा 88,91 व 136 एल.आर.एक्ट पेश कर चक 11 एल.एन.पी. के खाता सं. 33/23 मु.नं. 59 के कि.नं. 15 के 0.760है0 जो वादीगण के नाम से दर्ज है, का वादीगण को खातेदार मानते हुए प्रतिवादी सं. 2 के नाम से उक्त मु.नं. 59 के कि. नं. 15/2 के रूप में जो 0.051है0 दर्ज है को डिलीट करने व समस्त रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त करने का निवेदन किया। वाद पेश होने पर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जबाब दावा पेश करने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर दो वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 13.10.2016 को वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने पर अधी. न्यायालय को वाद डिक्री करना चाहिए था। वादी ने अपने वाद को साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित किया था। फिर भी वाद खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट का दावा अधी. न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है जबकि अधी. न्यायालय में दोनों पक्षों में राजीनामा पेश होने से दावा डिक्री किया जाने का अनुतोष चाह कर अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुरोध किया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय में लिखा है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 19.01.2016 को पुनः

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तनकियात कायम की गई दिनांक 27.05.2016 को राजस्व अभियान कैम्प 11 एल. एन.पी. ख्यालीवाला में दौरानें कैम्प वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए और राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पहचान मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत 11 एल.एन.पी.द्वारा की गई। शिविर के दौरान प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि चक 11 एल.एन.पी. ख्यालीवाला के मुरब्बा नम्बर 59 की भूमि हमारे दोनों परिवारों के बीच में कम ज्यादा होने के कारण विवाद रहा है। अतः मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 जो रिकार्ड में कम ज्यादा दर्ज हो चुका है, शुद्ध किया जावे और मुरब्बा नम्बर 59 का किला नम्बर 15 का रकबा शुद्ध किया जाकर किला नम्बर 5, 6, 16, 25 का रकबा भी शुद्ध किया जावे। प्रकरण में दिनांक 23.09.2016 को बहस सुनी गई दौराने बहस बहस वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 27.05.2016 को वादी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार दुरूस्ती की जाकर खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया जावे। वादी अपना जमाबन्दी में बदलवाना चाहता है। जिसको सिद्ध करने का भार वादी का है। राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय करने हेतु आवेदित है। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रकरण में बनाई गई तनकीयात के मध्यनजर निम्नानुसार निर्णय किया जाता है:–

(1) तनकीयान नम्बर 1:– चुंकि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.01.2016 में स्पष्ट किया है कि यह प्रकरण शद्धि का नहीं बनता है। इसलिए शुद्धि की जानी उचित नहीं है। साथ ही राजीनामा जो प्रस्तुत किया है न ही व सुस्पष्ट है कि किसके कितना रकबा किस किस का कम होगा व किस का कितना कितना रकबा बढेगा यह स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए यह तनकी वादी सिद्ध करने में विफल रहने के कारण तनकियात का निर्णय वादी के विरूद्ध में किया जाता है।

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(2) तनकीयान नम्बर 2:– चुंकि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.01.2016 के अनुसार लिपिकीय त्रुटि रिकार्ड के अनुसार साबित नहीं होती है। इसलिये तनकियात का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

निर्णय का आधार तहसीलदार की रिपोर्ट दर्शाया है, अधी. न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार श्रीगंगानगर की दो अलग–अलग रिपोर्टस उपलब्ध है यथा रिपोर्ट दिनांक 02.11.2015 जिसकी रिपोर्ट है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 12 एल.एन.पी की जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 के खाता सं. 34 में मु.नं. 59 में 1.240है0 नहरी रकबा में मु.नं. 59 के कि.नं. 15/2= 0.076है0 रकबा श्री ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 12 एल.एल.पी. खातेदार दर्ज है व खाता सं. 107 में मु.नं. 59 के कि.नं. 15/1= 0.051है0 रकबा सहीराम पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी 12 एल.एल.पी. खातेदार के नाम दर्ज है और दोनों खातों में मुताबिक खाता रहन दर्ज है। रिकार्ड रूम में रिकार्ड देखने पर सम्वत 2021 की जमाबन्दी के खाता सं. 24 में मामराज पुत्र पूरन जाति जाट सा0 देह खातेदार मु.नं. 59 का कि.नं. 15/0.06 बीघा दर्ज है व खाता सं. 39 में श्री सहीराम पुत्र मलूराम जाति जाट सा0 देह खातेदार के खाते में मु.नं. 59 के कि.नं. 15 रकबा 0.04 बीघा दर्ज है। सम्वत 2026 से 2035 की खतौनी बन्दोबस्त के खाता सं. 26 में मामराज के नाम मु.नं. 59 के कि.नं. 15/1= 0.06 व खाता सं. 38 में सहीराम खातेदार के नाम मु.नं. 59 का कि.नं. 15/2 = 0.04 बीघा रकबा दर्ज है। फील्डबुक चक 11 एल.एन.पी. में मु.नं. 59 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक का रकबा 0.06 बीघा दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी फील्डबुक एवं खतौनी बन्दोबस्त की प्रतियों सहित मूल प्रकरण श्रीमान की सेवा में दुरूस्ती हेतु सादर प्रेषित है।

वही दूसरी रिपोर्ट दिनांक 07.01.2016 जिसमें अंकित किया है कि प्रकरण में पटवारी हल्का 11 एल.एन.पी. से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 11 एल.एन.पी. की जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 के खाता सं. 34 में मु.नं. 59 में

14/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1.240है0 नहरी रकबा में मु.नं. 59 के कि.नं. 15/0.076है0 रकबा श्री ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 12 एल.एल.पी. खातेदार दर्ज है व खाता सं. 107 में मु.नं. 59 के कि.नं. 15/2= 0.051है0 रकबा सहीराम पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी 12 एल.एल.पी. खातेदार के नाम दर्ज है और दोनों खातों में मुताबिक खाता रहन दर्ज है। रिकार्ड रूम में देखने पर सम्वत 2021 की जमाबन्दी के खाता सं. 24 में मामराज पुत्र पूरन जाति जाट सा.देह खातेदार मु.नं. 59 का कि.नं. 15/0.06 बीघा दर्ज है व खाता सं. 39 में श्री सहीराम पुत्र मलूराम जाति जाट सा0 देह खातेदार के खाते में मु.नं. 59 के कि.नं.15 रकबा 0.04 बीघा दर्ज है। सम्वत 2026 से 2035 की खतौनी बन्दोबस्त के खाता सं. 26 में मामराज के नाम मु.नं. 59 के कि.नं. 15/1 = 0.06 व खाता सं. 38 में सहीराम खातेदार के नाम मु.नं. 59 का कि.नं. 15/2= 0.04 बीघा रकबा दर्ज है। फील्डबुक चक 11 एल.एन.पी. में मु.नं. 59 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक का रकबा 0.06 बीघा दर्ज है जो कि इससे पूर्व के बन्दोबस्त की है। फील्डबुक जोकि सहवन से पूर्व पत्र के साथ संलग्न हुई है के कारण सहवन से दुरूस्ती किया जाना उचित लिख दिया गया था। परन्तु पुनः अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया जिसमें अवलोकनार्थ खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2026–2035 मिलान क्षेत्रफल की प्रति एवं बन्दोबस्त से पूर्व की राजस्व जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024 पत्र के संलग्न कर निवेदन है कि वर्तमान अभिलेख एवं बन्दोबस्त से पूर्व इसी अनुरूप चला आ रहा है। अतः प्रकरण दुरूस्ती योग्य नहीं है।

एक ही तहसीलदार की दो तरह की रिपोर्टस सन्देह पैदा करती है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा के विधिक प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 15 नियम 1 का अध्ययन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति मय तहसीलदार श्रीगंगानगर की दो रिपोर्टस यथा 02.11.2015 व 07.01.2016 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित कर

14/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तहसीलदार श्रीगंगानगर का स्पष्टीकरण लिया जाना प्रस्तावित है कि तहसीलदार द्वारा दो विरोधाभाषी रिपोर्टस क्यों पेश की है अगर malafiedly रिपोर्ट तैयार की है तो विभागीय कार्यवाही अमल में लाना उचित होगा।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर